अजं अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
मंगे खान पुत्र लाखा खान जाति मुसलमान, निवासी सुटड़गढ तहसील शिव, जिला बाड़मेर		निजाम पुत्र लाखा खान जाति मुसलमान, निवासी सुटड़गढ तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (04)

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन (धारा 212) मुकदमा नम्बर 70/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.01.2025	प्रार्थी अधिवक्ता श्री अभयसिंह राठौड़ द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है, जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण जरीये नोटिस तलब हो। अंतरिम स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन करने पर एकपक्षीय अंतरिम बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण की संयुक्त एवं अविभाजित खातेदारी के खेत मौजा सुटड़गढ, तहसील शिव के खसरा नम्बर 393/75 रकबा 17.5148 हैक्टेयर तथा मौजा धारवीकला, तहसील शिव के खसरा नम्बर 334/151 रकबा 4.8562 हैक्टेयर के आये हुए है। उक्त विवादित आराजी मे प्रार्थी का 1/3 खातेदारी हिस्सा आया हुआ है। उक्त विवादित आराजी में पक्षकारान् के हिस्से राजस्व रेकर्ड में खुले हुए है तथा उसी अनुसार प्रार्थी अपने कब्जा काश्त में रहवासी ढाणी सहित काबिज है। प्रार्थी विवादित आराजी का रेकर्डेड खातेदार होने तथा मौके पर काबिज काश्त होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। वर्तमान में विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के खातेदारी हिस्सा एवं कब्जा काश्त में दखलंदाजी पैदा की जाकर अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर उसे बेदखल करने की धमकियां दी जा रही है तथा विवादित आराजी का बिना विभाजन करवाये अजनबी क्रेताओं को बैचान कर कब्जा करवाने पर आमादा है, जबकि विप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यदि विप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तथा प्रार्थी के खातेदारी हक हिस्सा व कब्जा काश्त में बलपूर्वक प्रवेश कर स्वयं या अन्य से प्रार्थी को बेदखल किया जाता है अथवा सामलाती खातेदारी में विभाजन पूर्व बैचान किया जाता है तो इससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कीमत पर अदा नहीं की जा सकती। अतः समस्त परिस्थितियों में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्वांत प्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थी के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी/हस्तक्षेप नहीं करने तथा वर्तमान मौका एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा सादिर फरमाई जावें। हमने प्रार्थी अधिवक्ता की अंतरिम बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी विवादित आराजी का रेकर्डेड खातेदार है तथा मौके पर [illegible] हिस्सा में काबिज काश्त होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। यदि विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखलंदाजी पैदा की जाकर उन्हे जबरन बेदखल किया जाता है अथवा [illegible] के हक हिस्सा की भूमि पर जबरन कब्जा किया जाता है या सामलाती खातेदारी में विभाजन पूर्व अजनबी क्रेताओं को बैचान किया जाता है तो इससे अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होने से इंकार नहीं किया जा सकता। साथ ही मौके पर तनाव व विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की आंशका रहेगी तथा प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों	

सहायक कलक्टर (एस०) शिव

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.07.24 11:50:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म | में जारी हुए

10.6.25

प्रार्थी वकील द्वारा मूल वाद के नतीजे तक सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश करने पर पत्रावली तलब होकर पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादी 1 से 1 उपस्थित।

चूंकि उक्त आवेदन का मूल वाद पक्षकारान के मध्य राजीनामा होने एवं आगे की कार्यवाही नहीं चाहने पर जरिये डिक्री खारिज किया जा चुका है। पक्षकारान द्वारा उक्त आवेदन को भी खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। अतः मूल वाद के खारिज होने से उक्त आवेदन का कोई औचित्य एवं महत्व नहीं होने से उक्त आवेदन भी इसी स्टेज पर जरिये डिक्री खारिज किया जाता है। साथ ही पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को समाप्त किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.07.24 11:50:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner